

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ई

संख्या:सा0प्र0वि0एफ-एफ(4)-10/2000-लूज

दिनांक: 28/04/2018

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश “हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान राशि योजना-1985” के अन्तर्गत प्रदेश के स्वर्गीय स्वतन्त्रता सेनानियों की अविवाहित पुत्रियों की सम्मान राशि को दिनांक 01.04.2018 से मु0 ₹ 5,000/- से बढ़ाकर मु0 ₹ 10,000/- प्रतिमास करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (सी) ए (9)-1/2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार जारी की जाती है।

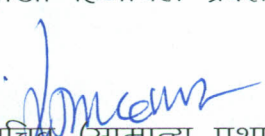
इस पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-60-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-200-अन्य स्कीमें-05-हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण-पैन्शन-गैर योजना में से किया जाएगा।

आदेश द्वारा

सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

पृ0सं0: यथोपरि । दिनांक: शिमला-171002, 28/04/2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003
2. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ले.व.ह.) हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003
3. प्रधान सचिव (मुख्यमन्त्री) हिमाचल प्रदेश शिमला-2
4. सचिव (राज्यपाल) हिमाचल प्रदेश शिमला-2
5. समस्त प्रशासनिक अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
6. समस्त निजी सचिव, मन्त्रीगण हिमाचल प्रदेश शिमला-2
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
8. संयुक्त सचिव (वित्त विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को उनके उपरोक्त अनौपचारिक टिप्पणी के सन्दर्भ में।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश शिमला-5
10. निदेशक लोक सम्पर्क हिमाचल प्रदेश शिमला-2
11. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
12. कोषपाल धर्मार्थ वृत्तदान/उप सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
13. कोषाध्यक्ष, राजधानी कोष, हिमाचल प्रदेश शिमला-2
14. सम्बन्धित सहायक, सामान्य प्रशासन ई-शाखा हिमाचल प्रदेश शिमला-2
15. 150 अतिरिक्त प्रतियां।


उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2